भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1094

सोमवार, 10 फरवरी, 2025/21 माघ, 1946 (शक)

रोजगार वृद्धि और वेतन समानता

1094. श्री बी. मणिक्कम टैगोर:

श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में बेरोजगारी की दर बहुत अधिक है, जबकि 97 प्रतिशत कंपनियां रोजगार बढ़ाने की योजना बना रही हैं;

(ख) सभी क्षेत्रों में इस मुद्दे को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट कार्रवाई की गई है;

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं कि ये नौकरियां कम वेतन वाली या अस्थायी न हों, बल्कि युवाओं को दीर्घकालिक, स्थिर रोजगार प्रदान करें;

(घ) क्या सरकार के पास खासकर बढ़ती मुद्रास्फीति के मद्देनजर यह सुनिश्चित करने की कोई योजना है कि ये नौकरियां उचित वेतन और गुणवत्तापूर्ण कार्य स्थितियां प्रदान करें; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि यह वृद्धि निष्पक्ष रूप से वितरित हो और श्रमिकों तक पहुंचे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार किस प्रकार यह सुनिश्चित करती है कि निजी निवेश में अपेक्षित वृद्धि टिकाऊ और गुणवत्तापूर्ण नौकरियों में तब्दील हो, न कि केवल कम कौशल और शोषणकारी रोजगार में?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (च): रोजगार और बेरोजगारी पर आधिकारिक डेटा वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से एकत्र किया जाता है, जो 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किया जाता है। सर्वेक्षण अवधि हर साल जुलाई से जून होती है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) 2017-

18 के दौरान 6.0% से घटकर 2023-24 में 3.2% हो गई है। साथ ही, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति पर रोजगार दर्शाने वाला अनुमानित श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 2017-18 में 46.8% से बढ़कर 2023-24 में 58.2% हो गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्रकाशित केएलईएमएस (के: पूंजी, एल: श्रम, ई: ऊर्जा, एम: सामग्री और एस: सेवाएँ) डेटाबेस अखिल भारतीय स्तर पर विनिर्माण क्षेत्र सहित रोजगार अनुमान प्रदान करता है। डेटाबेस के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश में रोजगार 2017-18 में 47.5 करोड़ की तुलना में 2023-24 में बढ़कर 64.33 करोड़ हो गया।

इसके अलावा, सितंबर 2017 और सितंबर 2024 के बीच 7 करोड़ से अधिक शुद्ध अभिदाता कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में शामिल हुए हैं, जो नौकरी बाजार के औपचारिकीकरण में वृद्धि को दर्शाता है। साथ ही, वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान 3.92 करोड़ से अधिक शुद्ध अभिदाता ईपीएफओ में शामिल हुए हैं।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान न्यूनतम मजदूरी के एक घटक के रूप में जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान करता है। तदनुसार, केंद्र सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत न्यूनतम मजदूरी की मूल दरों पर परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (वी.डी.ए.) नामक जीवन निर्वाह भत्ते को संशोधित करती है, जो हर साल 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से प्रभावी होता है, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर औद्योगिक श्रमिकों के लिए मुद्रास्फीति के खिलाफ न्यूनतम मजदूरी की रक्षा करता है।

रोजगार सृजन के साथ-साथ रोजगार क्षमता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है और यह एक बहु-हितधारक पहल है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय आदि युवाओं सहित सभी के लिए विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू कर रहे हैं। इन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत कौशल विकास केंद्रों/स्कूलों/कॉलेजों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुनः कौशल और अप-कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्किल इंडिया मिशन (सिम) को लागू कर रही है। स्किल इंडिया मिशन (सिम) का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल में प्रवीणता प्रदान करके भविष्य के लिए तैयार करना है।

इसके अलावा, सरकार ने बजट 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों संबंधी प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की है। इसमें बजट 2024-25 में 1,07,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ घोषित रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना शामिल है जिसका उद्देश्य ईपीएफओ के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके रोजगार सृजन और कार्यबल को औपचारिकीकरण प्रदान करना, नियोजनीयता में वृद्धि करना तथा कर्मचारियों और नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देने के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना है।

केंद्रीय बजट 2025-26 में भी विभिन्न क्षेत्रों में कई रोजगार सृजन पहलों की घोषणा की गई है।

****